आरईसी
REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

REC Limited | आर ई सी लिमिटेड
(भारत सरकार का महारत्न उद्यम) (A Maharatna Government of India Enterprise)
पंजीकृत कार्यालय: कोर–4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
कॉर्पोरेट कार्यालय: प्लॉट नं. आई–4, इफको चौक मेट्रो स्टेशन के पास,सेक्टर–29, गुरुग्राम–122001(हरियाणा)
दूरभाष: +91 124 444 1300 | वेबसाइट: www.recindia.nic.in
सीआईएन: L40101DL1969GOI005095 | जीएसटी नं.: 06AACR4512R3Z3

एसईसी-1/187(2)/2026/2920 **दिनांक: 14 जुलाई , 2026**

लिस्टिंग विभाग, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई –400 051	**कॉर्पोरेट संबंध विभाग** बीएसई लिमिटेड पहली मंजिल, फिरोज जीजीभोय टॉवर्स दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई – 400 001
स्क्रिप कोड-RECLTD	**स्क्रिप कोड-532955**
Listing Department National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400 051.	**Corporate Relationship Department** BSE Limited 1st Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001.
Scrip Code-RECLTD	**Scrip Code-532955**

विषय : एक्सचेंजों द्वारा लगाए गए जुर्माने पर बोर्ड की टिप्पणियाँ – के संबंध में

महोदय/ महोदया,

यह 27 मई, 2026 के एनएसई पत्र और बीएसई ईमेल के संदर्भ में है, जिसमें आरईसी लिमिटेड ("आरईसी"/"कंपनी") द्वारा 31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही के दौरान निदेशक मंडल की संरचना से संबंधित आवश्यकताओं के अनुपालन के संबंध में है। , जैसा कि सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम") में निर्धारित है।

स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा दी गई सलाह के अनुसार, अनुपालन न होने के उक्त मामले को 28 जून, 2026 को आयोजित कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक में रखा गया था, जिसमें बोर्ड ने निदेशक मंडल के गठन के संबंध में अनुपालन न करने की स्थिति और उससे संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा लगाए गए जुर्माने का संज्ञान लिया।

इस संबंध में, बोर्ड ने निर्देश दिया है कि आरईसी के बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी, अर्थात विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की जाए।

इसके अतिरिक्त, हम यह प्रस्तुत करना चाहेंगे कि एक सरकारी कंपनी होने के नाते और कंपनी के संगम अनुच्छेदों के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ, कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है, जो प्रशासनिक मंत्रालय, अर्थात विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से कार्य करते हैं, और निदेशकों की नियुक्ति में कंपनी की कोई भूमिका नहीं है। तदनुसार, स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा कंपनी पर लगाए गए जुर्माने को माफ करने का अनुरोध है।

धन्यवाद ,

भवदीय,
कृते आरईसी लिमिटेड
Digitally Signed

(दिनेश गर्ग)
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

संलग्न: एनएसई के पत्र और बीएसई के ईमेल, दिनांक 27 मई, 2026 के क्रम में।

अनुवाद जारी है जल्द ही उपलब्ध होगा ।